न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रशान्त शर्मा आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 79/2020

प्रार्थीनी	बनाम	विप्रार्थीगण
1 हेमीदेवी पुत्री निम्बसिंह पत्नी खेतसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी हाल इन्द्रा कॉलोनी बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर।		1 निम्बसिंह पुत्र इन्द्रसिंह 2 दुर्जनसिंह 3 महेशसिंह पिसरान निम्बसिंह निवासी बाडमेर गादान तहसील बाडमेर 4 जसूकंवर पुत्री निम्बसिंह पत्नी पवनसिंह 5 गोमीकंवर पुत्री निम्बसिंह पत्नी रतनसिंह 6 धुड़ी कंवर पुत्री निम्बसिंह पत्नी रतनसिंह निवासी तामलोर तहसील गडरा रोड 7 ओमीकंवर पुत्री निम्बसिंह पत्नी दलपतसिंह निवासी तालो की ढाणी, कोटड़ा तहसील शिव 8 मंजूकंवर पुत्री निम्बसिंह पत्नी मांगूसिंह फौत के कायम मुकाम 8/1 लक्ष्मणसिंह 8/2 संतू 8/3 मनू पिसरान मांगूसिंह नाबालिग जरिये कुदरती वली पिता मांगूसिंह 9 तीडीकंवर पुत्री निम्बसिंह पत्नी खेतसिंह निवासी इन्द्रा कॉलोनी बाडमेर तहसील बाडमेर 10 तारी पुत्री निम्बसिंह पत्नी उगमसिंह 11 हुआ पुत्री निम्बसिंह नाबालिग जरिये कुदरती पिता निम्बसिंह 12 सुरेशसिंह पुत्री निम्बसिंह नाबालिग कुदरती वली पिता निम्बसिंह 13 माणकसिंह पुत्र इन्द्रसिंह 14 भंवरसिंह 15 मोहनसिंह पिसरान हरखसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी बाडमेर गादान तहसील व जिला बाडमेर 16 तहसीलदार बाडमेर 17 ढेलीदेवी पत्नी इन्द्रसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी बाडमेर गादान तहसील व जिला बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 RTA Act.

उपस्थिति :– 1 श्री प्रेम प्रजापत, वकील प्रार्थीनी।
2 श्री रामस्वरूप भाटी, वकील विप्रार्थी संख्या 01, 03 से 07, 09 से 12 व 15।

निर्णय

दिनांक 24.09.20

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्राथीगण द्वारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 40, 91 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है जिसमे प्रार्थीनी को सफलता मिलने की पूरी संभावना है। प्रार्थीनी द्वारा एक ओवदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अ. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बाडमेर गादान पटवार क्षेत्र बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 3223/2218 रकबा 04.10 बीघा, खसरा संख्या 3230/2229 रकबा 01.06 बीघा, खसरा संख्या 3231/2232 रकबा 03.02.10 बीघा कुल रकबा 08.18.10 बीघा तथा मौजा डीगडा पटवार क्षेत्र आटी तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 635/257 रकबा 06.12 बीघा प्रार्थीनी तथा अप्रार्थी संख्या 01 से 12 की संयुक्त खातेदारी के पैतृक कब्जे काश्त की भूमि आई हुई है। मौजा बाडमेर गादान पटवार क्षेत्र बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 3224/2218 रकबा 02.18 बीघा भूमि प्रार्थीनी तथा अप्रार्थी संख्या 01 से 15 की संयुक्त खातेदारी के पैतृक

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

Scanned with CamScanner

कब्जे काश्त की भूमि आई हुई है। मौजा बाडमेर गादान पटवार क्षेत्र बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 3223/2218 रकबा 04.10 बीघा, खसरा संख्या 3230/2229 रकबा 01.06 बीघा, खसरा संख्या 3231/2232 रकबा 03.02.10 बीघा कुल रकबा 08.18.10 बीघा भूमि में प्रार्थीनी तथा अप्रार्थी संख्या 01 से 12 में प्रत्येक का 1/13–1/13 हिस्सा तथा मौजा डीगडा पटवार क्षेत्र आटी तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 635/257 रकबा 06.12 बीघा भूमि में विप्रार्थी संख्या 01 के 1/4 हिस्से पर प्रार्थीनी तथा अप्रार्थी संख्या 01 से 12 प्रत्येक का 1/13–1/13 हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण रकबे में प्रत्येक का 1/52–1/52 हिस्सा पैतृक खातेदारी का है। वादग्रस्त भूमि विप्रार्थी संख्या 01 को पैतृक सम्पति के रूप में प्राप्त हुई तथा प्रार्थीनी व अप्रार्थी संख्या 01 से 12 विप्रार्थी संख्या 01 के जायन्दा पुत्रिया व पुत्र हैं। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि की कीमते बढ जाने के कारण अप्रार्थी संख्या 01 वादग्रस्त भूमि को राजस्व अभिलेख का फायदा उठाकर प्रार्थीनी की भूमि व कब्जे काश में दखलन्दाजी कर अजनबी व्यक्तियों को बेचान करने पर उतारू है तथा प्रार्थीनी को कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने की लगातार धमकियां दे रहे हे। यदि वह उसमें सफल होता है तो प्रार्थीनी को अपूर्णीय क्षति होगी तथा दावे का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। लिहाजा प्रार्थीनी अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नॉटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 01, 03 से 07, 09 से 12 व 15 के वकील उपस्थित तथा अप्रार्थी संख्या 16 पैरोकार सरकार उपस्थित। शेष अप्रार्थीगण ईकतरफा। वकील अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नही किया तथा सीधे बहस की गई। संशोधित शीर्षक रेकर्ड पर लिया गया।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीनी द्वारा आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति है पक्षकारान हिन्दु होने से हिन्दु विधि से शासित है। पैतृक सम्पति में पुत्री का जन्म से अधिकार पैदा हो जाता है। पुत्री के हिस्सा तक की भूमि का यदि बेचान अन्य को हो जाता है तो प्रार्थीनी को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीनी के पक्ष में है। लिहाजा वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की प्रार्थीनी पूर्ण हकदार है।

वकील अप्रार्थीगण को प्रार्थीनी के हिस्से तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी पर कोई आपति नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न राजस्व अभिलेख का भी अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वाद ग्रस्त आराजी पैतृक भूमि है तथा इन्द्रसिंह के देहान्त के पश्चात् उक्त भूमि जरिये नामान्तकरण इन्द्रसिंह के पुत्रों के नाम से दर्ज हुई। इन्द्रसिंह के पुत्र निम्बसिंह जो

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी संख्या 01 है के पुत्र-पुत्रियों का वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही हिस्सा निहित होने से पैतृक सम्पति में अपना हिस्सा पाने के अधिकारी है। साथ ही अप्रार्थी संख्या 01 की माता अप्रार्थी संख्या 17 का भी उससे हिस्सा बनता है। वकील प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत यह तर्क उचित प्रतीत होता है कि वर्तमान में वादग्रस्त भूमि की कीमते बढ जाने के कारण अप्रार्थी संख्या 01 वादग्रस्त भूमि का राजस्व अभिलेख का फायदा उठाकर प्रार्थीनी के हिस्से की भूमि में दखलन्दाजी कर अजनबी व्यक्तियों को बेचान करने पर उतारू है। यदि वह उसमें सफल होता है तो प्रार्थीनी को अपूर्णीय क्षति होगी। पैतृक सम्पति में प्रार्थीनी का हिस्सा जन्म से निहित होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण तथा सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीनी के पक्ष में है। मौजा डीगडा पटवार क्षेत्र आटी तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 635/251 रकबा 06.12 बीघा भूमि पैतृक होने का कोई प्रमाण प्रस्तुत नही किया है।

उपर्युक्त विवेचनोपरान्त प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर वाद के निर्णय तक प्रार्थीनी के पक्ष में तथा अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा बाड़मेर गादान पटवार क्षेत्र बाड़मेर आगोर तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 3223/2218 रकबा 07.19 बीघा में तथा खसरा संख्या 3230/2229 रकबा 02.13 बीघा में तथा खसरा संख्या 3231/2232 रकबा 03.02.10 बीघा भूमि में प्रार्थीनी के 1/20 हिस्से तक तथा मौजा बाड़मेर गादान के खसरा संख्या 3224/2218 रकबा 02.18 बीघा भूमि में प्रार्थीनी के 1/54 हिस्से तक अप्रार्थी संख्या 01 अभिलेख की यथा स्थिति बनाये रखे।

(प्रशान्त शर्मा)
सहायक कलक्टर
(एसडीओ) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 24/05/24 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एसडीओ) बाड़मेर

Scanned with CamScanner